"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 नवम्बर 2018—अग्रहायण 2 , शक 1940

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2018

क्रमांक 3-5/2007/1-7.—छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (क्रमांक 30 सन् 2002) की धारा-4 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री शंभूनाथ श्रीवास्तव, प्रमुख लोकायुक्त, छत्तीसगढ़ का 05 वर्ष का निर्धारित कार्यकाल दिनांक 20-08-2018 को पूरा होने तथा नये प्रमुख लोकायुक्त द्वारा दिनांक 27-08-2018 (अपरान्ह) को कार्यभार ग्रहण करने के फलस्वरूप तत्कालीन प्रमुख लोकायुक्त माननीय न्यायमूर्ति श्री शंभूनाथ श्रीवास्तव को दिनांक 27-08-2018 (अपरान्ह) से कार्यमुक्त किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर

अटल नगर रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2018

क्रमांक एफ 7-6/2018/38-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की कंडिका 23 (एक-अ) के प्रावधानानुसार बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर के कार्यपरिषद् हेतु छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय का पत्र क्रमांक 7503/वि.स./विधान/2018 दिनांक 01-08-2018 के आधार पर छत्तीसगढ़ विधान सभा के निम्नलिखित माननीय सदस्यों को मनोनीत किया जाता है :—

क्र.	नाम	पता
(1)	(2)	(3)
1.	श्री बद्रीधर दीवान, 31-बेलतरा	सी-5 फॉरेस्ट कॉलोनी, राजा तालाब, रायपुर छ.ग.
2.	श्री लखन देवांगन 22-कटघोरा	कोहडिया, चारपारा, जिला-कोरबा छ.ग.
3.	श्री रोशनलाल, 27-रायगढ़	74, किरोड़ीमल, कॉलोनी, रायगढ़ छ.ग.
4.	श्री मोतीलाल देवांगन, 34-जांजगीर-चांपा	19, "चरखा" विधायक कॉलोनी, पुरैना, रायपुर, छ.ग.
5.	श्री दिलीप लहरिया, 32-मस्तूरी (अ.जा.)	ग्राम-धनगवां, पोस्ट-ओखर, तहसील-मस्तूरी, जिला-बिलासपुर छ.ग.

माननीय सदस्यों का कार्यकाल छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 की धारा 23 (2) में दिये गये प्रावधानानुसार तीन वर्ष का होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नलिनी माथुर, अवर सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2018

क्रमांक एफ 10-18/2018/16.—उपादान भुगतान अधिनियम 1972 (क्र. 39 सन् 1972) की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन जारी विभागीय अधिसूचना क्रमांक 12, दिनांक 20 मार्च, 2002 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 10-21/2012/16, दिनांक 02/11/2012 में "धारा 7 अ" के स्थान पर "धारा 3" पढ़ा जावे.

उक्त संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावशील होगा.

अटल नगर रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2018

क्रमांक एफ 10-19/2018/16.—"श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955" की धारा 17 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन जारी विभागीय अधिसूचना क्रमांक 36, दिनांक 20 मार्च 2002 में "धारा 17 बी की उपधारा (1)" के स्थान पर "धारा 17 की उपधारा (1)" पढ़ा जावे.

उक्त संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिव्या उमेश मिश्रा, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 19 सितम्बर 2018

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/8923/भू-अर्जन/2018.—भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/कृषकों की संख्या (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
राजनांदगांव	अंबागढ़ चौकी	साल्हेकुसुमकसा प.ह.नं. 01 कृषकों की संख्या 01	1.168 हेक्टे.	जल संसाधन विभाग, राजनांदगांव के पेन्दलकुही जलाशय के डूबान में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 31-10-2018 को (समय) दोपहर 12.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन कुसुमकसा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	जल संसाधन विभाग, राजनांदगांव के पेन्दलकुही जलाशय के डूबान में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	01
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में निजी शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	—
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	उक्त परियोजना से क्षेत्र में सिंचित रकबे में वृद्धि होगी.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किए जा रहे हैं.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति की कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

राजनांदगांव, दिनांक 19 सितम्बर 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/8927/भू-अर्जन/2018.—भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/कृषकों की संख्या (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
राजनांदगांव	अंबागढ़ चौकी	कातुलवाड़ा प.ह.नं. 27 कृषकों की संख्या 01	0.065 हेक्टे.	जल संसाधन विभाग, राजनांदगांव के मोंगरा एनीकट के डूबान में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 29-09-2018 को (समय) दोपहर 12.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन पीपरखार पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	जल संसाधन विभाग, राजनांदगांव के मोंगरा एनीकट के डूबान में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	01
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में निजी शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	—
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	उक्त डूबान निर्माण से क्षेत्र में सिंचित रकबे में वृद्धि होगी.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किए जा रहे हैं.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति की कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

राजनांदगांव, दिनांक 20 सितम्बर 2018

प्रारूप–एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/8950/भू–अर्जन/2018.—भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/कृषकों की संख्या (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
राजनांदगांव	अंबागढ़ चौकी	हालमकोड़ो, प.ह.नं. 03 कृषकों की संख्या 02	0.173 हेक्टे.	जल संसाधन विभाग, राजनांदगांव के हालमकोड़ो जलाशय के बांध पार में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 03–10–2018 को (समय) दोपहर 12.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन हालमकोड़ो पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	जल संसाधन विभाग, राजनांदगांव के हालमकोड़ो जलाशय के बांध पार में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	02
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में निजी शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	—
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	उक्त परियोजना से क्षेत्र में सिंचित रकबे में वृद्धि होगी.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किए जा रहे हैं.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति की कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

राजनांदगांव, दिनांक 20 सितम्बर 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/8952/भू-अर्जन/2018.—भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/कृषकों की संख्या (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
राजनांदगांव	अंबागढ़ चौकी	हज्जूटोला प.ह.नं. 04 कृषकों की संख्या 01	0.137 हेक्टे.	जल संसाधन विभाग, राजनांदगांव के हालमकोड़ो जलाशय के डूबान में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 17-10-2018 को (समय) दोपहर 12.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन तिरपेमेटा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	जल संसाधन विभाग, राजनांदगांव के हालमकोड़ो जलाशय के डुबान में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	01
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में निजी शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	—
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	उक्त परियोजना से क्षेत्र में सिंचित रकबे में वृद्धि होगी.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किए जा रहे हैं.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति की कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

राजनांदगांव, दिनांक 20 सितम्बर 2018

प्रारूप–एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/8954/भू–अर्जन/2018.—भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/कृषकों की संख्या (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
राजनांदगांव	अंबागढ़ चौकी	छछानपहरी प.ह.नं. 11 कृषकों की संख्या 01	0.340 हेक्टे.	जल संसाधन विभाग, राजनांदगांव के बहोरनभेड़ी एनीकट/ काजवे में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 10–10–2018 को (समय) दोपहर 12.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन छछानपहरी पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	जल संसाधन विभाग, राजनांदगांव के बहोरनभेड़ी एनीकट/काजवे में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	01
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में निजी शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	—
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	उक्त परियोजना से क्षेत्र में सिंचित रकबे में वृद्धि होगी.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किए जा रहे हैं.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति की कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

राजनांदगांव, दिनांक 20 सितम्बर 2018

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/8957/भू-अर्जन/2018.—भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/कृषकों की संख्या (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
राजनांदगांव	अंबागढ़ चौकी	डोंगरगांव प.ह.नं. 04 कृषकों की संख्या 01	0.068 हेक्टे.	जल संसाधन विभाग, राजनांदगांव के हालमकोड़ो जलाशय के नहर नाली में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 27-10-2018 को (समय) दोपहर 12.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन डोंगरगांव पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	जल संसाधन विभाग, राजनांदगांव के हालमकोड़ो जलाशय के नहर नाली में प्रभावित कृषकों की भूमि अधिग्रहण प्रकरण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	01
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में निजी शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	—
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	उक्त परियोजना से क्षेत्र में सिंचित रकबे में वृद्धि होगी.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किए जा रहे हैं.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति की कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 28 सितम्बर 2018

क्रमांक 06/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-रूचिदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.651 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
954/1	0.061
960/1	0.032
998/1	0.049
1005/3	0.045
955/1	0.057
961/4	0.032
957/1	0.008
998/3	0.036
955/2	0.032
993/2	0.065
999/1क	0.065
957/2	0.036
956/1	0.032
954/3	0.020
1001	0.081
योग 15	0.651

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना नहर निर्माण के अंतर्गत पुटकापुरी माइनर नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 सितम्बर 2018

क्रमांक 07/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-पुटकापुरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.597 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
17/20	0.012
17/10	0.008
20/3	0.012
23/1	0.045
34	0.049
17/3	0.020
17/7	0.004
20/2	0.012
25/1	0.036
35/1	0.024
17/5	0.121
19	0.049

	(1)	(2)
	21/2	0.020
	25/3	0.024
	20/4	0.012
	25/2	0.024
	20/1	0.012
	22/1	0.085
	33/1क	0.012
	21/1	0.016
योग	20	0.597

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–केलो परियोजना नहर निर्माण के अंतर्गत धनगांव माइनर–1 नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 सितम्बर 2018

क्रमांक 08/अ–82/2017–18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन–
- (क) जिला–रायगढ़
- (ख) तहसील–पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम–रावनखोंदरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल–0.552 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
74/1ख	0.061
76/2	0.020
75/3	0.004
82/2	0.020
84/2 क, 158/1	0.041
74/1घ	0.024
75/1, 76/1	0.024
79/2	0.008
86/3	0.016
25/1	0.117
78/1	0.028
85/1	0.085
85/2	0.020
74/2, 75/2	0.024
25/2	0.024
86/2	0.024
157	0.012
योग 21	0.552

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–केलो परियोजना नहर निर्माण के अंतर्गत पुटकापुरी माइनर नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 सितम्बर 2018

क्रमांक 15/अ–82/2017–18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन–
- (क) जिला–रायगढ़
- (ख) तहसील–पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम–पुटकापुरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल–1.827 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
30/3	0.016

(1)	(2)	(1)	(2)
429	0.073	427/3	0.020
43/2क	0.036	445/4	0.008
243/3	0.036	445/26	0.041
273/2	0.057	453/4	0.036
426/2क	0.093	426/1	0.032
431/1	0.049	41/2	0.020
438	0.057	243/2	0.036
453/2	0.032	271/3	0.045
30/8	0.061	281/1	0.069
40	0.041	431/3	0.045
241/1	0.036	446	0.089
271/4	0.028	39	0.057
273/5	0.049		
430	0.081	योग 35	1.827
445/6	0.077		
445/25	0.045		
453/3	0.065		
30/9	0.057		
41/1	0.012		
242/2	0.202		
439/7	0.069		
274/1	0.057		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–केलो परियोजना नहर निर्माण के अंतर्गत पुटकापुरी माइनर नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप–सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

अम्बिकापुर, दिनांक 7 मार्च 2018

शुद्धि पत्र

क्रमांक 770/नग्रानि/अम्बिकापुर/वि.यो.–कुसमी/2018.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 15 की उपधारा (4) के तहत् कुसमी निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र अंगीकृत किये जाने की अधिसूचना इस कार्यालय के समसंख्यक सूचना क्रमांक 3935/नग्रानि/अम्बिकापुर/वि.यो.–कुसमी/2017 अम्बिकापुर दिनांक 17–10–2017 अनुसार छत्तीसगढ़ राजपत्र के पृ.क्र. 496–497 भाग–1 में दिनांक 02–03–2018 को प्रकाशित की गई है. उक्त अधिसूचना के अंग्रेजी प्रारूप के पूर्वी सीमा में मुद्रित ग्राम का नाम "Ghutadih" त्रुटिपूर्ण अंकित है. जबकि वास्तविक ग्राम का नाम "Ghutradih" है. अत: अंग्रेजी प्रारूप के पूर्वी सीमा में उल्लेखित ग्राम का नाम "Ghutadih" के स्थान पर "Ghutradih" पढ़ा जावे.

अम्बिकापुर, दिनांक 27 जुलाई 2018

शुद्धि पत्र

क्रमांक 2275/नग्रानि/अम्बिकापुर/वि.यो.-कुसमी/2018.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 15 की उपधारा (4) के तहत् कुसमी निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र अंगीकृत किये जाने की अधिसूचना इस कार्यालय के समसंख्यक सूचना क्रमांक 3935/नग्रानि/अम्बिकापुर/वि.यो.-कुसमी/2017 अम्बिकापुर दिनांक 17-10-2017 अनुसार छत्तीसगढ़ राजपत्र क्रमांक 09 रायपुर शुक्रवार दिनांक 02 मार्च 2018-फाल्गुन 11, शक 1939 को पृ.क्र. 496-497 भाग-1 में प्रकाशित की गई है. उक्त अधिसूचना के अंग्रेजी प्रारूप के पूर्वी सीमा में मुद्रित ग्राम का नाम "Ghutadih" त्रुटिपूर्ण अंकित है. जबकि वास्तविक ग्राम का नाम "Ghutradih" है. उक्त सूचना के पश्चात् शुद्धि पत्र के स्थान पर छत्तीसगढ़ राजपत्र क्रमांक 21 रायपुर शुक्रवार दिनांक 25 मई 2018-ज्येष्ठ 4, शक 1940 को पृ.क्र. 1107-1108 भाग-1 में दिनांक 25 मई 2018 में पुनः मूल सूचना का प्रकाशन किया गया है.

अतः दिनांक 25 मई 2018 को प्रकाशित सूचना को निरस्त मानते हुये दिनांक 02-03-2018 को प्रकाशित सूचना के अंग्रेजी प्रारूप के पूर्वी सीमा में उल्लेखित ग्राम का नाम "Ghutadih" के स्थान पर "Ghutradih" पढ़ा जावे.

एन. एस. ठाकुर,
सहायक संचालक.